21.1.2021 पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से स्व. पैरोकार
उपस्थित प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता
श्रीमान् आचार्य उपस्थित। प्रार्थी (प्रतिवादी)
की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.5.2019
बाबत प्रारम्भिक आपत्ति की बहस सुनी गई।
वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित
तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि धारा
177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पेश नहीं हो सकता तथा तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को इस्तगासा वाद पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण वाद मेन्टेनेबल नहीं इसके विपरीत अप पैरोकार द्वारा की बहस रही कि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अप्रार्थी (वादी) की स्टेण्डाई है इसलिए वाद पोषणीय है। हमने प्रार्थी व अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा सम्बंधित विधि का अध्ययन किया गया। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के दावे का कोई प्रोविजन नहीं है न्यायालय के विनम्र मतानुसार प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.5.2017 स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है आदि आदि हमने वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति का अध्ययन किया एवं अवलोकन किया तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को हिदायत दी जाती है कि उक्त दावा दायर करने के बजाय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। अतः उक्त को खारिज किया जाता है। तहसीलदार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व/कोलायत नये सिरे से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु की हिदायत दी गयी। तहसीलदार (राजस्व)/कोलायत को आदेश जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.1.2021 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर